कार्यालय - कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नंबर-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर - 482008

फोन -0761-2702615 **ई-मेल** - mppgcl@mp.nic.in

सिन - U40109MP2001SGC014882 **वेबसाईट** -http:mppgcl.mp.gov.in

क्रमांक क.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/को.अनु.नियु./2723 **जबलपुर, दिनांक** - 6 SEP 2021

आदेश

अवर सचिव, मप्र शासन, समान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-2-12/2013/1/3 दिनांक 28.05.2021 एवं मप्र शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 6902/2021/तेरह/07 दिनांक 25.08.2021 तथा म.प्र.पॉ.मै.क.लि. द्वारा आदेश क्रमांक मुमहाप्र(मासंसाएवंप्रशा)/को.अनु.नि./4047 दिनांक 27.08.2021 के माध्यम से जारी "एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना" के अनुक्रम में म.प्र.पॉ.ज.क.लि. में कार्यरत कार्मिकों के दिनांक 01 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक कोविड-19 से मृत्यु होने अथवा उक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालिक सहायता के उद्देश्य से ऐसे कार्मिकों के पूर्णतः आश्रित परिवार के एक पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के लिये "मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना" लागू की जाती है।

संलग्नः- "मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना"

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता
कार्या. कार्य.निदे. (मा.संसा.एवं.प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., जबलपुर

क्रमांक क.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/को.अनु.नियु./2724 **जबलपुर, दिनांक** - 6 SEP 2021

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक/ मुख्य अभियंता (संचा. संधा.-उत्पा)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन विद्युत) / (सामग्री प्रबंधन) / (सी.एस.) / (परियोजना उत्पादन)/ (सामग्री प्रबंधन) / (अभियांत्रिकी) / (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) / (संचा. संधा. जल विध्युत), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।
3. कार्यपालक निदेशक/ मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह / अताविगृह/सताविगृह / श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र. पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई /सारनी/खण्डवा ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र. पॉ. मैनेजमेंट कं. लि., जबलपुर । मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा एवं प्रशा.), म.प्र. पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर / इन्दौर / भोपाल।
5. मुख्य अभियंता (मा.संसा एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ. ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।

क्रमशः2

6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं. लि. जबलपुर।
7. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
8. अति. मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार) / (सिविल सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण) / (टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं. लि. जबलपुर / सिरमौर
9. अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/ पेंच / राजघाट / रानी अवंतीबाई सागर / बाणसागर दो / तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.प.जन.कं.लि. गांधीसागर / तोतलाडोह / चंदेरी/ बरगीनगर / शिवपुरी / सिलपरा/ देवलोंद / झिन्ना |
10.मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्री.सि.ता.वि.परि., म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., खण्डवा ।
11.संयुक्त निदेशक (वि. एवं ले)/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.) / संगांताविगृह/ अताविगृह/ सताविगृह/ श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि/टॉस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर/ बिरसिंहपुर/चचाई /सारनी / खण्डवा/ सिरमौर ।
12.स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/ (वाणिज्य) म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।
13.सहायक अभियंता (वेबसाईट प्रभारी आई .टी.). कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा एवं प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर - वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
14.स्थापना अनुभाग कार्यालय मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.) म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर।

संयुक्त सचिव - III
कार्या. कार्य. निदे. (मा. संसा. एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि., जबलपुर

मध्य प्रदेश पॉवर ज़नरेटिंग कंपनी लिमिटेड कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना

01. **प्रस्तावना :-**

कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी के अंतर्गत समस्त नियमित/ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/ आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत कंपनी सेवक/ सेवायुक्तों के लिये **"मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लि. कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना"** निम्नानुसार लागू की जाए:-

02. **उद्देश्य:-**

इस योजनांतर्गत उपरोक्त प्रस्तावना में उल्लेखित कार्मिकों की योजना अवधि में कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी, जिसमें मृत कार्मिक नियोजित था।

03. **पात्र कर्मी:-**

3.1. कंपनी के समस्त नियमित/ कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर/सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत कार्मिक |

04. **पात्रता की शर्तें :-**

4.1. मृतक कार्मिक मान्य चिकित्सकीय जांच (RAT/RTPCR) में कोविड-19 पॉज़िटिव पाया गया हो तथा योजना अवधि में उसकी मृत्यु हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉज़िटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गई हो ।

4.2. मृत्यु की तिथि पर वह कंपनी कार्य में कार्यरत हो ।

4.3. मृतक कार्मिक शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये ।

4.4. उक्त योजना अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति – 2018" की कंडिका 2 के अनुसार होगा ।

4.5. मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा ।

4.6. दिवंगत कार्मिक के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा ।

4.7. यदि किसी कार्मिक की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/ संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो दिवंगत कार्मिक के परिवार का कोई भी सदस्य अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र होगा ।

4.8. जिस परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा।

5. **योजना की अवधि:-**

यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी ।

(स्पष्टीकरण- अगर कार्मिक योजनावधि में कोविड-19 पॉज़िटिव था लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉज़िटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।)

6. **अनुकंपा नियुक्ति के पद:-**

6.1. इस योजना अंतर्गत कार्यरत नियमित/संविदा कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति – 2018" में चिन्हित पदों पर शैक्षणिक अर्हता धारण करने पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था। अर्थात –

क्र.	मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार	पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
1	नियमित	नियमित
2	संविदा	संविदा

यदि पात्र आवेदक "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति – 2018" में चिन्हित पदों में से किसी भी पद की शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं करता है तो इसके लिए चतुर्थ श्रेणी में नियमित एवं संविदा आधार (उसी प्रकार के नियोजन जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था) पर भृत्य/वार्ड ब्वाय/वार्ड आया का सांख्येतर पद निर्मित किया जा सकेगा ।

6.2. सांख्येतर पद निर्मित करने की अनुमति म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग से प्राप्त की जावेगी।

6.3. इस योजना अंतर्गत कार्यभारित एवं आकस्मिकता/ दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर/ आउटसोर्स/ मानदेय अंतर्गत कार्यरत कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को उसकी योग्यता एवं अर्हता के आधार पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा के आधार पर नियोजित किया जा सकेगा जिस प्रकार के नियोजन में मृतक कार्मिक नियोजित था । अर्थात –

क्र.	मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार	पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
1	कार्यभारित / आकस्मिकता अंतर्गत	कार्यभारित / आकस्मिकता
2	दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर/ आउटसोर्स	आउटसोर्स

7. **अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया :-**

7.1. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय प्रमुख, जिसमें दिवंगत कार्मिक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.2. प्रभावित परिवारों को सुविधा प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से योजना अंतर्गत 31 अक्टूबर 2021 तक अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलम्ब के कारण से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 03 माह तक का विलम्ब माफ कर सकेंगें ।

7.3. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा.) कार्यालय में बनाई जावेगी एवं इसका क्रम दिवंगत कार्मिक की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जावेगा, अर्थात जो कार्मिक पहले दिवंगत हुआ है उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए पहले दी जावेगी।

7.4. यदि "मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अनुकंपा नियुक्ति नीति – 2018" में चिन्हित पदों में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को कंडिका 6 के अनुरूप अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है तो इसके लिए सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा । ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में उसी पद की नियमित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जावेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर सांख्येतर पद स्वतः समाप्त समझा जावेगा ।

7.5. दिवंगत कार्मिक के परिवार को शपथ पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा जिसकी अनुकंपा नियुक्ति की जानी है ।

7.6. दिवंगत कार्मिक के आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की स्थिति मे उस पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा ।

7.7. दैनिक वेतन भोगी/ कलेक्टर दर पर कार्यरत/ आउटसोर्स/ मानदेय कर्मी के आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता की आधार पर कंडिका 8.3 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जा सकेगा ।

08. **प्रकरण स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :-**

8.1. अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय प्रमुख, जिसमें दिवंगत कंपनी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत् था, को प्रस्तुत किया जायेगा|

8.2. कार्यालय प्रमुख द्वारा इस परिपत्र में वर्णित नियमों के अंतर्गत आवेदनों का पूर्ण परीक्षण करते हुए कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (मा.सं.एवं प्रशा.) कार्यालय को अग्रेषित किया जायेगा|

8.3. कार्यपालक निदेशक / मुख्य अभियंता (मा.सं. एवं प्रशा.), द्वारा आवेदनों का पूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी आदेश जारी किये जा सकेंगे ।

09. अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

मुख्य अभियंता
कार्या. कार्य. निदे.(मा.सं. एवं प्रशा)
म.प्र.पॉ.ज.क.लि., जबलपुर